

आदेश की क्रम सं०
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख के
साथ

30.11.15

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 91/14-15 धर्मवीर कुमार बनाम कामेश्वर सिंह एवं अन्य आदेश

आवेदक आवेदक धर्मवीर कुमार, पिता स्व० एकवाल सिंह, ग्राम+पोस्ट-इंजौर, थाना -
मेहन्दिया, जिला-अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर
विवादित भूमि पर मापी कराने एवं दखल कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है।
विवादित भूमि जो ग्राम-इंजौर, थाना-मेहन्दिया, जिला-अरवल में अवस्थित निम्न है:-

खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी
76	316	20 डी०	उत्तर-कर्मवीर कुमार, दक्षिण-वालदेव सिंह, पूरब-प्रतिवादीगण, पश्चिम-दिनेश कुमार एवं गली

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार
से नोटिस निर्गत किया गया, विपक्षी उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गई।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के उपरान्त विवादित
भूमि की नापी सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त श्री वशिष्ठ नारायण से करायी
गयी। अधिवक्ता आयुक्त ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 18.11.2014 को समर्पित किया
गया। उक्त प्रतिवेदन पर विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आपत्ति दाखिल किया
गया जिसपर उभय पक्षों की सुनवाई की गई।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-

- (1) खाता नं० 76 प्लॉट नं० 432,433 रकबा $31\frac{1}{4}$ डी० भूमि विपक्षी के पत्नी के नाम
से 2006 में निबंधित केवाला के माध्यम से खरीदगी भूमि है जो खरीदगी के समय
से ही दखल कब्जा कायम है।
- (2) विपक्षी द्वारा खरीदगी पश्चात लगभग 5 कट्टा में मिट्टी भरकर आम, सगवान,
शिशम, अमरुद्ध, केला, निबू का वृक्ष लगाया गया है।
- (3) अधिवक्ता आयुक्त द्वारा दिनांक 11.11.2014 के दाखिल मापी प्रतिवेदन पर
आवेदक एवं अधिवक्ता का हस्ताक्षर नहीं है जो प्रथम पक्ष के मिली रिपोर्ट है।
- (4) जिस समय भूमि की मापी की जा रही थी उस समय सभी जगह पानी तथा

*

किंचड़ एवं खेतों में धान का फसल लगा हुआ था, अतएव स्थल पर विवादित भूमि की मापी नहीं की गई बल्कि सिर्फ खानापूरति की गई।

(5) किसी प्लॉट की मापी हेतु सर्व प्रथम किसी एक विन्दु को निश्चिन्त विन्दु कायम किया जाता है जो कि स्थल पर पानी भरा रहने एवं कीचड़ या जिसे ना ही निश्चिन्त विन्दु कायम किया गया और ना ही विवादित भूमि की मापी की गई वल्कि डेरा पर बैठे-बैठे सारी प्रक्रिया कर दी गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-

- (1) विवादित भूमि आवेदक के खतियानी भूमि है जो दादा स्व० कैलाश महतो का नाम दर्ज है।
- (2) विवादित भूमि का डिमाण्ड आवेदक के नाम से कायम है तथा राजस्व का भुगतान किया जा रहा है।
- (3) विवादित भूमि के पूरब तरफ विपक्षी का भूमि है जो भूमि पर सीमा विवाद बनाये हुए है।
- (4) नापी के समय विपक्षी स्वयं स्थल पर मौजूद थे और नापी निश्चित विन्दु कायम कर किया गया था।

अतः नापी प्रतिवेदन को संपुष्ट कर आवेदक के द्वारा माँगी गयी अनुतोष को स्वीकृत किया जाये।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं नापी प्रतिवेदन का अवलोकन किया। सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त ने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सूचित कर नापी किया है। सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त ने निश्चित विन्दु जिसे फील्ड बुक में 'A' लिखा है, से भूमि की नापी की है। साथ ही विवादित प्लॉट और विपक्षी का प्लॉट संख्या अलग-अलग है। अतः सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त के नापी प्रतिवेदन को संपुष्ट किया जाता है।

चूँकि विवादित प्लॉट एवं विपक्षी का प्लॉट अलग-अलग है, प्राधिकार अंचल अधिकारी, कलेर को आदेश देती है कि वे एक माह के बाद विवादित भूमि का अंचल अमीन से नापी कराकर आवेदक को कब्जा सौंपें। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, कलेर को भेजें।

लेखापिक एवं संशोधित

30.01

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

30.01

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।